मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 11.09.2025

"जब वादी निकला अपराधी"

थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत जाह्नवी पेट्रोल पम्प के पास खड़ी कन्टेनर से LCD TV की चोरी की घटना का सफल अनावरण, 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गयी 40 अदद LCD TV व घटना में प्रयुक्त मैजिक, मोटर साइकिल बरामद —

थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 09.09.2025 को वादी अंकित गौतम पुत्र भागीरथी निवासी नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरुद्ध लालगंज क्षेत्रांतर्गत जाह्नवी पेट्रोल पम्प के पास खड़ी कन्टेनर से 40 अदद LCD TV चोरी हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-351/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के सफल अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने हेतु पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थानाध्यक्ष लालगंज को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के क्रम में थाना लालगंज पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना में सुरागरसी-पतारसी एवं इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः 11.09.2025 को थाना लालगंज की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत चेरूईराम मोड़ के पास से मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्तियों व पिकअप सवार 03 व्यक्तियों, कुल 05 नफर अभियुक्तों 1.अंकित गौतम पुत्र भागीरथी, 2. रोहित कुमार पुत्र श्यामनारायण, 3. सोमदत्त उर्फ छोटू पुत्र बुद्धिराम निवासीगण नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, 4. लोरिक उर्फ रामसकल पुत्र स्व0 चतुरी निवासी निवावल थाना लालगंज जनपद मीरजापुर व 5.रमाशंकर पुत्र हीरामणी निवासी ग्राम भटवारी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । मौके से पिकअप वाहन संख्या UP 63 AT 9947 में लदी हुई चोरी की 40 अदद LCD TV तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 63 BF 6296 बरामद किया गया । थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-08/2025 धारा 303(2) , 317(2),212,3(5) बीएनएस में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है । चोरी की घटना में प्रयुक्त मैजिक वाहन व मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित गौतम (वादी मुकदमा) द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त कन्टेनर में पुणे से LCD TV लादकर गुवाहाटी ले जा रहा था कि रास्ते में मीरजापुर अंतर्गत लालगंज में अपने

गांव में ले जाकर खड़ा कर दिया था। पैसो की तंगी के कारण मैने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुल 40 अदद टीवी कन्टेनर से चोरी कर लिया गया था तथा जिसे बेचकर अच्छा पैसा कमाने की फिराक मे था। हमारे द्वारा चोरी किये गये टीवी को बेचने का काफी प्रयास किया गया परन्तु कही न बिकने के कारण हम लोग मैजिक पिकअप में लादक कर सारी टीवी को मध्य प्रदेश ले जा रहे थे, कि तभी हम लोगो को पकड़ लिया गया। चोरी के सम्बन्ध में मुझ पर किसी को शक ना हो इस लिये मेरे द्वारा ही थाना पर प्रार्थना पत्र दिया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.अंकित गौतम पुत्र भागीरथी, नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 26 वर्ष।

2. रोहित कुमार पुत्र श्यामनारायण, नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 27 वर्ष।

3. सोमदत्त उर्फ छोटू पुत्र बुद्धिराम निवासी नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 23 वर्ष।

4. लोरिक उर्फ रामसकल पुत्र स्व0 चतुरी निवासी निवावल थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 50 वर्ष।

5.रमाशंकर पुत्र हीरामणी निवासी ग्राम भटवारी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-38 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

चोरी की 40 अदद LCD TV

घटना में प्रयुक्त एक मैजिक पिकअप वाहन UP 63 AT 9947 व मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 63 BF 6296 बरामद।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-08/2025 धारा 303(2) , 317(2),212,3(5) बीएनएस थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत चेरूईराम मोड़ के पास से, आज दिनांकः 11.09.2025 को, समय 04.00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष लालगंज संजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक नौशाद अली खाँ मय पुलिस टीम।

****